

क्रमांक प.3(117)सूप्रो/लेखा/08/ I/67356/2017
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक),
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जिला कार्यालय, समस्त

जयपुर दिनांक 13.04.17

विषय : जिला कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कार्यालय व्यय एवं वाहन किराया मद में बजट आवंटन

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाख में)

बजट मद 3454-02-203-01-02

क्र. सं.	जिला	01 संवत्तन			03-यात्रा भत्ता	04- चिकित्सा भत्ता	05- कार्यालय व्यय			36-वाहन किराया मद में आवंटन
		वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	अब आवंटन			वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	अब आवंटन	
1	अजमेर	208.00	40.00	168.00	0.70	0.08	6.00	0.50	5.50	1.20
2	अलवर	333.00	40.00	293.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
3	भरतपुर	260.00	40.00	220.00	0.70	0.08	10.00	0.50	9.50	1.20
4	बूंदी	148.00	40.00	108.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
5	चित्तौड़गढ़	168.00	40.00	128.00	0.70	0.08	3.00	0.50	2.50	1.20
6	चुरू	207.00	40.00	167.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
7	दौसा	170.00	40.00	130.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
8	धौलपुर	132.00	40.00	92.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
9	श्रीगंगानगर	233.00	40.00	193.00	0.70	0.08	6.00	0.50	5.50	1.20
10	हनुमानगढ़	199.00	40.00	159.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
11	जयपुर	363.00	40.00	323.00	0.70	0.08	9.00	0.50	8.50	1.20
12	जैसलमेर	85.00	40.00	45.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
13	जालौर	119.00	40.00	79.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
14	झुंझुनू	234.00	40.00	194.00	0.70	0.08	3.00	0.50	2.50	1.20
15	जोधपुर	320.00	40.00	280.00	0.70	0.08	10.00	0.50	9.50	1.20
16	करौली	157.00	40.00	117.00	0.70	0.08	3.00	0.50	2.50	1.20
17	कोटा	122.00	40.00	82.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
18	पाली	218.00	40.00	178.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
19	राजसमंद	128.00	40.00	88.00	0.70	0.08	3.00	0.50	2.50	1.20
20	सवाईमाधोपुर	125.00	40.00	85.00	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
21	सीकर	254.00	40.00	214.00	0.70	0.08	6.00	0.50	5.50	1.20
	योग	4183.0	840.00	3343.00	14.70	1.68	107.00	10.50	96.50	25.20

बजट मद 3454-02-789-01-03

क्र. सं.	जिला	01 संवत्तन			03-यात्रा भत्ता	04- चिकित्सा भत्ता	05- कार्यालय व्यय			36-वाहन किराया मद में आवंटन
		वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	अब आवंटन			वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	
1	बांरा	142.00	40.00	102.00	0.70	0.08	3.00	0.50	2.50	1.20
2	बाड़मेर	220.00	40.00	180.00	0.70	0.08	10.00	0.50	9.50	1.20
3	भीलवाड़ा	240.00	40.00	200.00	0.70	0.08	10.00	0.50	9.50	1.20
4	बीकानेर	229.00	40.00	189.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
5	झालावाड़ा	210.00	40.00	170.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
6	नागौर	343.00	40.00	303.00	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
7	टोंक	176.00	40.00	136.00	0.70	0.08	6.00	0.50	5.50	1.20
	योग	1560.0	280.00	1280.00	4.90	0.56	44.00	3.50	40.50	8.40




यू.एन. प्रौद्योगिकी बजट क्र. 3454-02-796-02-03

क. सं.	जिला	01 संवत्तन			03-यात्रा भत्ता	04- चिकित्सा भत्ता	05- कार्यालय व्यय			36-वाहन किराया मद में आवंटन
		वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	अब आवंटन			वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आवंटन	पूर्व में आवंटित राशि	
1	बासवाड़ा	182	40	142	0.70	0.08	5.00	0.50	4.50	1.20
2	झूगरपुर	137	40	97	0.70	0.08	6.00	0.50	5.50	1.20
3	प्रतापगढ़	87	40	47	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
4	सिरोही	105	40	65	0.70	0.08	4.00	0.50	3.50	1.20
5	उदयपुर	259	40	219	0.70	0.08	10.00	0.50	9.50	1.20
	योग	770.00	200.00	570.00	3.50	0.40	29.00	2.50	26.50	6.00

उक्त व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

1. व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. व्यय का समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संघारित किया जायेगा।
3. अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
4. मासिक व्यय की सूचना हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. वर्ष 2017-18 हेतु वित्त विभाग की आई डी संख्या 171700046 दिनांक 18.01.2017 के द्वारा 33 जिला कार्यालयों जहां पर ए.सी.पी के पद भरे हुए हैं वहां पर **As & when required basis** पर एक वाहन किराये पर लिए जाने की प्राप्त सहमति के आधार पर बजट आवंटित किया जा रहा है। वित्त विभाग (बजट अनुभाग) के परीपत्र क्रमांक- प.9(1)वित्त-1(1)/आ.व्य./2015 दिनांक 15 जुलाई 2015 के अनुसार **As & when required basis** वाहन किराये की अधिकतम सीमा 10000/- एवं चलन सीमा 750 किमी. प्रतिमाह रहेगी।
6. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाये।


(नीलेश शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
3. कोषाधिकारी सम्बन्धित
4. सुश्री सोनिया चतुर्वेदी प्रभारी अधिकारी जिला समन्वय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
5. श्रीमती दीपशिखा सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत


वित्तीय सलाहकार